न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 736 सन 2026
CNR No. UPSP 010019862026

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र हरीचन्द्र।
2. सोनिया गान्धी पत्नी चन्द्रप्रकाश।
निवासीगण शुगर मिल चन्दोबाई कालोनी, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अं.स. 307/2025
धारा 115(2),352,
351(3),316(2) बी0एन0एस0
थाना कुतुबशेर, जिला–सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

12.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **चन्द्रप्रकाश एवं सोनिया गान्धी** की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी कमल किशोर द्वारा थाना पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि उसने अपने ताउ के लडके सूरज प्रकाश व चन्द्रप्रकाश से एक दुकान खरीदने का सौदा किया था, जिसमें दोनो भाईयो की रजा मंदी थी तथा जिसमें सूरज प्रकाश के पास दो लाख पचास हजार रूपये व चन्द्रप्रकाश के पास दो लाख रूपये दिनांक 05.02.2019 को द्वारा चैक दिए थे, जिसमें सूरज प्रकाश में रजिस्ट्री कर दी, परन्तु चन्द्रप्रकाश ने रजिस्ट्री नही की। वर्ष 2021 से दुकान पर वादी का ही कब्जा है। दिनांक 04.08.2025 वादी दुकान पर मौजूद था। चन्द्रप्रकाश व उसकी पत्नी सोनिया गांधी दुकार पर आए और वादी को दुकान खाली करने के लिए कहा, जिस पर वादी ने उनसे कहा कि उसने उन्हें दुकान के रूपये दे दिए, और दुकान उसकी है। इस पर दोनो ने वादी के साथ मारपीट कर। शोर की आवाज सुनकर आस पास के लोग ने आकर वादी को बचाया। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर गए। वादी उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि उन्हें उक्त वाद में झूठा फंसाया गया है, उनके द्वारा कोई अपराध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 21 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण ने कभी भी वादी से दुकान बेचने का कोई सौदा नही किया है। प्रार्थीगण थाने से जमानत पर हैं। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम् स्टेट (एन0सी0टी0 ऑफ देहली) एवं अन्य ए0आई0आर0 ऑनलाइन 2020 एस0सी0 74** में यह अभिमत व्यक्त किया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नीयत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचार करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत भी व्यक्त किया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अमनप्रीत सिंह बनाम् सी0बी0आई0 2021 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 941** के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में उसे जमानत पर निर्मुक्त करना उचित है।

पत्रावली एवं थाना से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध वादी के साथ प्रश्नगत दुकान का सौदा तय कर दो लाख रूपये प्राप्त कर हडपने तथा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। पत्रावली के अनुसार विवेचक द्वारा दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 के प्राविधानों के अनुपालन में बिना गिरफ्तार किए, आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाना दर्शित है। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किए जाने पर उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 16.01.2026 को प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण के विरूद्ध समन निर्गत किए जाने पर अभियुक्तगण की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती बच्ची देवी बनाम् उ0 प्र0 राज्य प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 नम्बर 6400 सन 2025** मे पारित आदेशानुसार दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफतार न किए जाने की स्थिति में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण निर्णय विधि सतेन्द्र कुमार अंतिल में प्रतिपादित सिद्धांतो में किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **चन्द्रप्रकाश एवं सोनिया गान्धी** का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण को उपरोक्त वर्णित अभियोग में मु0 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर मुकदमे के अंतिम निस्तारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये :–

1. अभियुक्तगण, मामले की सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे।

2. अभियुक्तगण, आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगें तथा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगे।

3. अभियुक्तगण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेगे, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।

4. अभियुक्तगण, धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगे।

5. अभियुक्तगण विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

6. अभियुक्तगण, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे।

7. अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांकः–12.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891